## प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखिए)

( साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा ।

निर्वाई-95 (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन निर्वाचन का संचालन नियम , 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) 44, दूरदर्शन कॉलोनी मालवीय नगर, जयपुर 302017 जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्ता निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान- टोंक दिनांक -03/12/2023

( रवि कांत सिंह ) रिटर्निंग ऑफिसर निवाई 95 (अ.जा.) उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड स्मिजिस्ट्रेट निवाई (एसटीस्ट्रेट) निवाई Form 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951 Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the Niwai-95 (SC) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961,

I declare that -

Shri Ram Sahay Varma (Regar) 44, Doordarshan Colony Malviya Nagar, Jaipur Raj. 302017 Sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – Tonk Date – 03-12-2023

(Ravi Kant Singh)
Returning Officer
Niwai 95 (SC)
Sub Divisional Officer &
Sub Divisional Magistrate Niwai

रिटर्निंग अधिकारी (एस.डी.एम.) निवाई